कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री दि उ0 प्र0 राइस मिलर्स एसोसियेशन, 128, स्लाइड हाउस, तृतीय तल, अपो0 हीर पैलेस सिनेमा, दि माल, कानपुर ।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**022 / 14, 20.03.2014**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री दि उ0 प्र0 राइस मिलर्स एसोसियेशन, 128, स्लाइड हाउस, तृतीय तल, अपो0 हीर पैलेस सिनेमा, दि माल, कानपुर द्वारा दिनांक 20.03.2014 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि '' फार्म-एच तथा बिल ऑफ लेडिंग दे देने पर धान की खरीद पर दिया जाने वाला वैट वापस होगा अथवा नहीं ? ''

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 26.06.2014 के लिए नोटिस भेजी गई । उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के राइस मिलर्स द्वारा चावल का निर्माण कर उसकी बिक्री फार्म-एच के विरूद्ध प्रान्त के बाहर की जाती है अर्थात इस चावल का निर्यात प्रान्त बाहर के निर्यातकों के माध्यम से किया जाता है । इस प्रकार के संव्यवहार में धान की किसानों / अपंजीकृत व्यापारियों से की गयी खरीद पर वैट देना पड़ेगा अथवा नहीं ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर द्वारा पत्र संख्या-90, दिनांक 15.04.2014 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-5 के अन्तर्गत किसी पंजीकृत व्यापारी से भिन्न व्यापारी से खरीद किये जाने पर करदेयता आकृष्ट होती है । अत: राइस मिलर्स द्वारा यदि अपंजीकृत व्यापारियों से धान की खरीद की जायेगी तब उन्हें नियमानुसार कर देना होगा । जहॉ तक धान की खरीद पर दिये गये कर की वापसी का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जॉच पर यदि यह पाया जाता है कि खरीदे गये माल से निर्मित माल का सीधे निर्यात अथवा निर्यात के दौरान बिक्री की गयी है उस दशा में अपंजीकृत से की गयी खरीद पर जमा किये गये इनपुट टैक्स जो कि राइस मिलर्स द्वारा अर्जित आई0टी0सी0 होगी की नियमानुसार वापसी हो सकती है ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रश्नकर्ता सर्वश्री दि उ0 प्र0 राइस मिलर्स एसोसियेशन व्यापारियों का एक संगठन है । इनके द्वारा कोई व्यापारिक गतिविधि संचालित नहीं की जाती है और न ही ये किसी प्रकार से पंजीकृत अथवा अपंजीकृत रूप से वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर है अत: उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के प्राविधानों के अन्तर्गत person or dealer concerned न होने के कारण अधिनियम के अन्तर्गत वे प्रश्न नहीं पूछ सकते है इसलिए उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होना चाहिए ।

...2

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में विहित प्राविधानों से स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति तब तक प्रश्न नहीं पूछ सकता है जब तक वह पंजीकृत या अपंजीकृत रूप से व्यापारिक गतिविधि न कर रहा हो। प्रार्थी सर्वश्री दि उ0 प्र0 राइस मिलर्स एसोसियेशन, 128, स्लाइड हाउस, तृतीय तल, अपो0 हीर पैलेस सिनेमा, दि माल, कानपुर द्वारा स्वयं कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं की जा रही है और न ही वह पंजीकृत अथवा अपंजीकृत रूप से वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर हैं। ऐसी स्थिति में वह person or dealer concerned नहीं हैं। अत: उक्त एसोसियेशन प्रश्न पूछने के लिए पात्र नहीं है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 07 जुलाई, 2014

ह0 / 07.07.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।